सख्या:-117 / 2021 / आई / 109132 / 232आ0 / 23-5-21-13(भवन) / 2021

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0 / नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021**

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में 'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना (उच्च विशिष्टियों सहित) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका में उल्लिखित पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में **जनपद कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में 'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना कार्य** हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 37.35 लाख, जिसमें उच्च विशिष्टियोंयुक्त कार्यों की लागत रू0 22.05 लाख की धनराशि सम्मिलित है, की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि **रू0 37.35 लाख(रू0 सैंतीस लाख पैंतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र दिनांक**	**कार्य का नाम**	**आगणन की लागत (रू0 लाख में)**	**निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)**
1	2	3	4	5
1	929जी / 76बी0पी0-विंग / 2021, दिनांक 12.08.2021	जनपद कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में 'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना का कार्य।	रू0 37.35	रू0 37.35

उक्त स्वीकृत कार्य में सम्मिलित उच्च विशिष्टियोंयुक्त कार्यों का विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	**कार्यमद**	**लागत (रू0 लाख में)**
1	2	3
1	'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की लागत	रू0 14.50
2	'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना लागत	रू0 02.25
3	'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना में सिल्वर मेटल क्लेडिंग का कार्य लागत	रू0 00.82
4	'भारत रत्न' अटल बिहारी बाजपेयी जी की मूर्ति की स्थापना एम0एस0 लेडर इत्यादि की लागत	रू0 01.95
योग :-		**रू0 19.52**
लागत रू0 19.52 लाख + जी0एस0टी0 रू0 02.34 लाख + लेबर सेस रू0 00.19 लाख = कुल योग		**रू0 22.05**

..../02..

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

7- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

8- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

11- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावानुसार आंकलित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- स्वीकृत कार्य में प्रस्तावानुसार सम्मिलित मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

14- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति जारी की जायेगी।

15- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..../03..

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 पूंजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-18-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-1678/दस-2021-2022,दि0 21.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:-117/2021/आई/109132/232आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी कानपुर नगर।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर।
10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
11- वित्त(व्यय नियंत्रक), अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।